

1980(2) एस.सी.आर.

नाडियाड इलेक्ट्रिक को. लिमिटेड

बनाम

नाडियाड बरो नगरपालिका व अन्य

12 दिसंबर, 1979

[न्यायाधिपति पी. एन. सिंघल और

ई. एस. वेंकटरमैया, जे. जे.]

भारतीय विद्युत अधिनियम, 1910 (1910 का 9)-एस। 22-ए (3)-  
विद्युत ऊर्जा की आपूर्ति के लिए कंपनी के साथ एक समझौते करने वाली  
नगर पालिका का दायरा- समझौते की समाप्ति के बाद आपूर्ति जारी रखने  
का दायित्व-जब भी उत्पन्न होता है-राज्य सरकार के लाभ का दावा करने  
के हकदार प्रतिष्ठान को सूचित करेगी-यदि आवश्यक हो।

हेडनोट-भारतीय विद्युत अधिनियम, 1910 की धारा 22-ए को विद्युत  
(संशोधन) अधिनियम, 1959 (1959 का 32) द्वारा अधिनियम में जोड़ा

गया था। धारा 22 की उप-धारा 1 ने राज्य सरकार को किसी अन्य उपभोक्ता को प्राथमिकता देते हुए किसी प्रतिष्ठान को ऊर्जा की आपूर्ति करने के लिए एक लाइसेंसधारी को निर्देश जारी करने के लिए अधिकृत किया, यदि उसकी राय में सार्वजनिक हित में ऐसा निर्देश देना आवश्यक है और (II) यदि प्रश्नगत प्रतिष्ठान राज्य सरकार की राय में समुदाय के लिए आवश्यक आपूर्ति और सेवाओं को बनाए रखने के लिए उपयोग की जाने वाली प्रतिष्ठान के रूप में है और राज्य सरकार का निर्णय है कि उसकी राय में प्रतिष्ठान का उपयोग समुदाय के लिए आवश्यक आपूर्ति और सेवाओं को बनाए रखने के लिए किया जाता है या उपयोग करने का इरादा है, जिसे सरकार द्वारा आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचित किया जाता है। धारा 22-ए की उप-धारा (3) में यह प्रावधान है कि विद्युत (संशोधन) अधिनियम, 1959 के प्रारंभ से पहले या बाद में जहां किसी लाइसेंसधारी द्वारा उप-धारा (1) में निर्दिष्ट किसी भी प्रतिष्ठान के साथ ऊर्जा की आपूर्ति के लिए की गई किसी भी सहमति की अवधि समाप्त हो जाती है, तो लाइसेंसधारी समझौते में निर्दिष्ट नियमों और शर्तों पर ऐसे प्रतिष्ठान को ऊर्जा की आपूर्ति तब तक जारी रखेगा, जब तक कि आपूर्ति को बंद करने की आवश्यकता वाले प्रतिष्ठान से लिखित सूचना प्राप्त नहीं हो जाती।

प्रतिवादी-नगर पालिका, जो अपनी सीमा के भीतर स्थित सार्वजनिक सड़कों, स्थानों और निर्माण स्थलों को रोशन करने के लिए उचित और

पर्याप्त प्रावधान करने के लिए बाध्य थी, ने 14 अगस्त, 1940 को अपीलकर्ता-कंपनी के साथ एक समझौता किया, जो बिजली अधिनियम, 1910 के तहत लाइसेंसधारी थी। जिस अवधि के दौरान उक्त समझौते के तहत विद्युत ऊर्जा की आपूर्ति की जानी थी, वह उस तारीख से 20 वर्ष थी जिस दिन इसे निष्पादित किया गया था। 10 मई, 1960 को कंपनी ने नगर पालिका को एक पत्र लिखा कि उक्त समझौता समाप्त हो रहा है और इसकी समाप्ति पर, कंपनी समझौते में बताई गई दरों, नियमों और शर्तों के अनुसार नगर पालिका को ऊर्जा की आपूर्ति जारी रखने के लिए किसी भी दायित्व के अधीन नहीं थी। कंपनी ने यह भी बताया कि यदि नगरपालिका संशोधित दरों पर ऊर्जा खरीदने के लिए तैयार नहीं है तो समझौते की अवधि समाप्त होने पर आपूर्ति बंद कर दी जाएगी। इसके बाद नगरपालिका ने 6 अगस्त, 1960 को एक पत्र लिखकर कंपनी से समान नियमों और शर्तों पर समझौते को नवीनीकृत करने का अनुरोध किया। कंपनी ने अपने जवाब में नगर पालिका को सूचित किया कि वह उसी नियम और शर्तों पर विद्युत ऊर्जा की आपूर्ति नहीं करेगी और 10 मई, 1960 के अपने पत्र में बताए गए संशोधित दरों पर भुगतान करने पर जोर दिया। वहाँ की नगरपालिका ने अधिनियम की धारा 22-ए की उप-धारा (3) के प्रावधानों पर भरोसा करते हुए एक मुकदमा दायर किया। जिसमें यह कथन किया है कि वह कंपनी से उसी नियम और शर्तों पर विद्युत ऊर्जा की आपूर्ति की

हकदार थी जैसा कि समझौते में निर्दिष्ट किया गया था, जब तक कि कंपनी को नगरपालिका से आपूर्ति बंद करने के लिए लिखित सूचना प्राप्त नहीं हो जाती। कंपनी ने इस आधार पर वाद का विरोध किया कि नगरपालिका अधिनियम की धारा 22-ए की उप-धारा (3) के लाभ की हकदार नहीं थी, क्योंकि यह एक ऐसा प्रतिष्ठान नहीं था जिसके लिए उक्त प्रावधान लागू था। विचारण न्यायालय ने माना कि अधिनियम की धारा 22-ए की उप-धारा (1) के अनुसार अधिसूचना के अभाव में नगरपालिका प्रावधान के लाभ का दावा करने की हकदार नहीं थी और इसके लिए मुकदमे में कोई राहत नहीं दी जा सकती और तदानुसार मुकदमे को खारिज कर दिया गया।

जिला न्यायालय में नगरपालिका की अपील खारिज कर दी गई थी, लेकिन उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश द्वारा दूसरी अपील को आंशिक रूप से स्वीकार की गयी और नगरपालिका के पक्ष में राहत प्रदान करते हुए एक डिक्री पारित की गयी कि कंपनी अधिनियम की धारा 22-ए की उप-धारा (3) के तहत नगरपालिका को समान दरों पर और उसी दर पर विद्युत ऊर्जा की आपूर्ति जारी रखने के लिए बाध्य है, जो नियम और शर्तें दिनांक 14 अगस्त, 1960 के समझौते में निर्दिष्ट की गई थीं, कंपनी द्वारा दायर लेटर्स पेटेंट अपील को उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा खारिज कर

दिया गया, हालांकि मामले को संविधान के अनुच्छेद 133 (1) (सी) के तहत अपील के लिए उपयुक्त माना था।

इस न्यायालय के समक्ष अपील में यह प्रश्न है कि क्या नगरपालिका एक ऐसा प्रतिष्ठान है, जो अधिनियम की धारा 22-ए की उप-धारा (3) के तहत लाभ का दावा कर सकती है।

### **अभिनिर्धारित:**

1. उच्च न्यायालय ने उन आवश्यकताओं की अनदेखी करने में गलती की, जो किसी प्रतिष्ठान को उप-धारा (3) के लाभ का दावा करने से पहले साबित करनी थी और यह अभिनिर्धारित करते हुए कि यदि न्यायालय की राय में, प्रतिष्ठान संतुष्ट है कि इसका उपयोग समुदाय के लिए आवश्यक आपूर्ति और सेवाओं को बनाए रखने के लिए किया जा रहा था या उसका ऐसा उपयोग करने का इरादा था, उप-धारा (3) के लाभ का दावा कर सकता है, भले ही राज्य सरकार द्वारा इसके तहत कोई अधिसूचना जारी नहीं की गई थी।

2. यदि धारा 22-ए की उप-धारा (3) में निर्दिष्ट समझौता एक लाइसेंसधारी द्वारा एक प्रतिष्ठान के साथ किया गया एक समझौता है जो समझौते के समय उप-धारा (1) में निर्दिष्ट प्रतिष्ठान होता। अधिनियम की धारा 22-ए, की उप-धारा (3) के प्रावधान, जो विद्युत संशोधन अधिनियम

1959 के प्रारंभ से पहले किए गए समझौतों के लिए लागू होता है, जिसके द्वारा धारा 22-ए को लागू किया गया था, अर्थहीन हो जाता है, क्योंकि राज्य सरकार की दो राय बनने से किसी प्रतिष्ठान का उपयोग समुदाय के लिए आवश्यक पूर्ति और आवश्यक सेवाओं के लिए किया जाना चाहिए और उपधारा 1 के तहत इसके संबंध में एक निर्देश जारी करना आवश्यक है, यह अधिनियम की धारा 22-ए को अधिनियम में पेश किये जाने के बाद ही किया जा सकता है और धारा 22-ए(1) की आवश्यकताओं को पूरा करने वाली कोई स्थापना नहीं होगी।

3. अधिनियम की धारा 22-ए की उप-धारा (1) को राज्य सरकार को निर्देश जारी करने में सक्षम बनाने के उद्देश्य से संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था और उपधारा-3 को जारी रखने के उद्देश्य से जारी किया गया था। धारा 22-ए की उपधारा-1 में निर्दिष्ट प्रतिष्ठान के साथ एक लाईसेंसधारी द्वारा किया गया समझौता, हालांकि दो उपधाराओं में जो बात समान है कि उपधारा-1 में निर्दिष्ट प्रतिष्ठान और धारा 22 ए की उपधारा 3 में निर्दिष्ट प्रतिष्ठान उसी प्रकार का होना चाहिए, अर्थात् यह एक ऐसा प्रतिष्ठान होना चाहिए, जो राज्य सरकार की राय में आपूर्ति व सेवाओं को बनाये रखने के लिए उपयोग किया जाता है, या उपयोग किये जाने का इरादा रखता है। समुदाय के लिए आवश्यक है और ऐसी राय के गठन का

तिय अधिकारिक राजपत्र में अधिसूचित किया गया हो, इसे अधिनियम की धारा 22-ए(1) में निर्धारित परीक्षण को पूरा करना चाहिए।

4. राज्य सरकार को धारा 22-ए की उप-धारा (1) के तहत अधिसूचना जारी करने में कोई बाधा नहीं है, ताकि उसमें अधिसूचित प्रतिष्ठान को अधिनियम की धारा 22-ए की उप-धारा (3) का लाभ मिल सके।

5. अधिनियम की धारा 22-ए की उप-धारा (1) में उल्लिखित उप-धारा (1) में संदर्भित शब्द उस प्रतिष्ठान का वर्णन और उसे परिभाषित करती है, जिस पर धारा 22-ए की उप-धारा (3) लागू होती है और ऐसे प्रतिष्ठान की पहचान करने के लिए, उप-धारा (1) के बाद आने वाले भाग का सहारा लिया जाना चाहिए। जो उन मानदंडों को निर्धारित करता है, जिन्हें ऐसे प्रतिष्ठान को पूरा करना चाहिए।

6. एक वैधानिक परिभाषा या संक्षिप्त रूप को कानून में व्यक्त की गयी सभी विशिष्टताओं के अधीन पढा जाना चाहिए और जब तक कि जिस संदर्भ में परिभाषित शब्द प्रकट होता है, उसके लिए अन्यथा आवश्यक ना हो, उसे परिभाषित करने वाले शब्दों द्वारा दिया गया वही अर्थ दिया जाना चाहिए।

7. अधिनियम की धारा 22-ए (1) के तहत अधिसूचना जारी करने की शक्ति में चयन का एक तत्व शामिल है और चयन की उक्त प्रक्रिया को एक खाली औपचारिकता के रूप में नहीं माना जा सकता है, जिसे समाप्त किया जा सकता है, न ही चयन की वह शक्ति जो संसद द्वारा राज्य सरकार को सौंपी गई है, उस पर न्यायालय द्वारा दावा नहीं किया जा सकता है। यह राज्य सरकार का काम है कि वह उस प्रतिष्ठान को अधिसूचित करे जो धारा 22-ए (1) के तहत जारी किए जाने वाले निर्देश का लाभार्थी होना चाहिए या जो अधिनियम की धारा 22-ए (3) के तहत विद्युत ऊर्जा की आपूर्ति का हकदार है, अनुबंध समाप्ति के बाद भी लाइसेंसधारी के साथ किए गए समझौते में निर्दिष्ट समान नियमों और शर्तों पर जब तक कि ऐसा प्रतिष्ठान लाइसेंसधारी को आपूर्ति बंद करने के लिए लिखित रूप में नोटिस नहीं देता है।

8. अधिनियम की धारा 22-ए से ज्ञात होता है कि संसद का यह इरादा प्रतीत होता है कि राज्य सरकार केवल उस प्रतिष्ठान के मामले में निर्देश जारी कर सकती है, जो उसकी राय में उसमें उल्लिखित योग्यताओं को पूरा करता है और उप-धारा (3) केवल उस प्रतिष्ठान पर लागू होनी चाहिए जो राज्य सरकार की राय में उक्त योग्यताओं को पूरा करता है।

9. अधिनियम की धारा 22-ए की उप-धारा (3) यह बताती है कि एक अनुबंध से आने वाले लाइसेंसधारी के अधिकारों में गंभीर हस्तक्षेप एक



विशिष्ट अवधि निर्धारित करता है।, जिसके दौरान उसे अस्तित्व में रहना चाहिए और लाइसेंसधारी को समझौते की समाप्ति के बाद भी प्रतिष्ठान को ऊर्जा की आपूर्ति करने के लिए मजबूर करता है, जब तक कि प्रतिष्ठान द्वारा लाइसेंसधारी को आपूर्ति बंद करने की एक लिखित सूचना जारी नहीं की जाती है।

सिविल अपील क्षेत्राधिकार: सिविल अपील सं-358/1970

उच्च न्यायालय, गुजरात के एल. पी. अपील सं. 11/63 में निर्णय व आदेश दिनांकित 14-10-1969 से।

अपीलार्थी की ओर से- आर. पी. भट्ट, के. जे. जॉन और डी. एन. मिश्रा।

प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से- वाई. एस. चिताले, वी. बी. जोशी, पी. सी. कपूर, श्रीमती वी. डी. खन्ना व सुश्री गीता शर्मा।

प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से- आई. एन. श्रॉफ।

न्यायालय द्वारा निर्णय दिया गया-

न्यायाधिपति वेंकटरमैया-

इस अपील में विचार यह है कि क्या उस मुकदमें में वादी जिसने यह अपील पेश की है, अर्थात् नाडियाड बोरो नगरपालिका एक प्रतिष्ठान

संस्थान है, जो भारतीय विद्युत अधिनियम, 1910 (अधिनियम संख्या 9) की धारा 22-ए की उप-धारा (3) के लाभ का दावा कर सकता है। वादी ने दिनांक 12.07.1960 को प्रतिवादी नाडियाड विद्युत आपूर्ति कंपनी लिमिटेड, नाडियाड प्रभाग), नाडियाड के खिलाफ सिविल जज (वरिष्ठ) के यहां यह घोषणा कराने के लिए मुकदमा दायर किया कि वह विद्युत ऊर्जा की आपूर्ति का हकदार है। प्रतिवादी से उन्हीं नियमों व शर्तों पर जो 14 अगस्त, 1940 के समझौते में निर्दिष्ट किए गए मामले उसके और प्रतिवादी के बीच तब तक प्रवेश किया गया जब तक कि प्रतिवादी को वादी से लिखित रूप में आपूर्ति बंद करने का नोटिस प्राप्त नहीं हुआ। प्रतिवादी को इस तरह का नोटिस तामील नहीं हो जाता, तब तक प्रतिवादी को आपूर्ति को बंद करने से रोकें। वाद में दिए गए तथ्य संक्षेप में यह हैं- वादी एक नगरपालिका थी जो अपनी सीमा के भीतर स्थित सार्वजनिक सड़कों, स्थानों और भवनों में रोशनी के लिए उचित और पर्याप्त प्रावधान करने के लिए बाध्य थी और उस उद्देश्य के लिए, वादी ने 14 अगस्त, 1940 को प्रतिवादी के साथ एक समझौता किया था, जिस अधिनियम के तहत वह एक लाइसेंसधारी था। जिस अवधि के दौरान समझौते के तहत विद्युत ऊर्जा की आपूर्ति की जानी थी, वह अनुबंध निष्पादित किये जाने की तारीख से 20 वर्ष थी। दिनांक 10 मई, 1960 को प्रतिवादी ने वादी को एक पत्र लिखा कि समझौता 13 अगस्त, 1960 की अवधि पर समाप्त होना है और प्रतिवादी समझौते की

समाप्ति के बाद समझौते में बताई गई दरों, नियमों और शर्तों के अनुसार वादी को ऊर्जा की आपूर्ति जारी रखने के लिए किसी भी दायित्व के अधीन नहीं था और वह इसके बाद भी ऊर्जा की आपूर्ति करने के लिए तैयार था, बशर्ते वादी उसके द्वारा मांगी गई नई दरों पर आपूर्ति के लिए शुल्क का भुगतान करने के लिए तैयार हो। प्रतिवादी ने वादी को यह भी सूचित किया कि यदि वादी संशोधित दरों पर ऊर्जा खरीदने के लिए तैयार नहीं है, तो वह समझौते की अवधि समाप्त होने पर आपूर्ति बंद कर देगा। इसके बाद वादी ने 6 अगस्त, 1960 को एक पत्र लिखकर प्रतिवादी से 14 अगस्त, 1940 के समझौते में उल्लिखित नियमों और शर्तों पर समझौते को नवीनीकृत करने का अनुरोध किया। दिनांक 9 अगस्त, 1960 के अपने जवाब द्वारा, प्रतिवादी ने वादी को सूचित किया कि वह समान नियमों और शर्तों पर विद्युत ऊर्जा की आपूर्ति करने को तैयार नहीं था। समझौते की समाप्ति के बाद 10 मई, 1960 के अपने पत्र में बताए गए संशोधित दरों पर भुगतान करने पर जोर दिया गया। इसके बाद वादी ने मुख्य रूप से उपरोक्त राहतों के लिए 12 अगस्त, 1960 को उपरोक्त मुकदमा दायर किया। अधिनियम की धारा 22-ए की उप-धारा (3)- प्रतिवादी ने अपने लिखित बयान के दौरान, अन्य बातों के साथ-साथ तर्क दिया कि वादी अधिनियम की धारा 22-ए की उप-धारा (3) के लाभ का हकदार नहीं था, क्योंकि यह एक ऐसा प्रतिष्ठान नहीं था जिसके लिए उक्त प्रावधान लागू हों। मुकदमे के

दौरान, यह विवादित नहीं था कि राज्य सरकार ने कोई अधिसूचना जारी नहीं की थी कि उसकी राय में वादी एक ऐसा प्रतिष्ठान था जिसका उपयोग धारा 22-ए की उप-धारा (1) के तहत समुदाय के लिए आवश्यक आपूर्ति और सेवाओं को बनाए रखने के लिए किया जाता है या किया जाना था। विचारण न्यायालय ने माना कि ऐसी अधिसूचना के अभाव में, वादी अधिनियम की धारा 22-ए की उप-धारा (3) के लाभ का दावा करने का हकदार नहीं था और इसलिए मुकदमे में कोई राहत नहीं दी जा सकती। तदनुसार मुकदमा खारिज कर दिया गया।

विचारण न्यायालय के आदेश से व्यथित होकर वादी ने नायडाड में कैरा के जिला न्यायाधीश के समक्ष अपील दायर की। उक्त अपील की फाइल को अहमदबाद में द्वितीय अतिरिक्त सहायक न्यायाधीश को स्थानांतरित कर दिया गया था। पक्षकारों को सुनने के बाद, द्वितीय अतिरिक्त सहायक न्यायाधीश ने अपील को खारिज कर दिया। प्रथम अपीलीय अदालत के फैसले के खिलाफ वादी ने गुजरात उच्च न्यायालय के समक्ष दूसरी अपील दायर की। दूसरी अपील को गुजरात उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश द्वारा आंशिक रूप से अनुमति दी गई और वादी के पक्ष में एक घोषणा प्रदान करते हुए एक डिक्री पारित की गई थी, कि प्रतिवादी अधिनियम की धारा 22-ए की उप-धारा (3) के तहत आपूर्ति जारी रखने के लिए बाध्य था। वादी को उन्हीं दरों पर और उन्हीं नियम और शर्तों पर

जो 14 अगस्त, 1940 के समझौते में निर्दिष्ट पर विद्युत ऊर्जा की आपूर्ति जारी रखनी थी। जब तक कि वादी समुदाय के लिए आवश्यक आपूर्ति और सेवाओं को बनाए रखने के लिए उपयोग किया जाने वाला या उपयोग करने का इरादा रखने वाला प्रतिष्ठान बना रहा और जब तक प्रतिवादी को वादी से आपूर्ति बंद करने की लिखित सूचना नहीं मिल जाती, तब तक ऐसा दायित्व है। अधिनियम के अन्य प्रावधानों और बिजली (आपूर्ति) अधिनियम, 1948 के प्रावधानों के अधीन है, जिसमें उक्त अधिनियम की धारा 57 और 57ए और छठी और सातवीं अनुसूची शामिल हैं। हालाँकि, वाद में अनुरोध किए गए स्थायी निषेधाज्ञा की राहत को इस आधार पर अस्वीकार कर दिया गया था कि प्रतिवादी ने वादी को उसी दर पर और उसी नियम और शर्तों पर बिजली की आपूर्ति करने से कभी इनकार नहीं किया था, जैसा कि 14 अगस्त, 1940 के समझौते में निर्दिष्ट किए गए थे। यदि यह माना जाता है कि 14 अगस्त, 1940 के समझौते में नवीकरण के लिए कोई अनुबंध था या अधिनियम की धारा 22-ए की उप-धारा (3) मामले के तथ्यों पर लागू होती थी।

दूसरी अपील में पारित डिक्री के खिलाफ प्रतिवादी ने उच्च न्यायालय की फाइल पर 1963 का पत्र पेटेंट अपील सं. 11 दायर की। उस अपील को उच्च न्यायालय की एक खंड पीठ ने खारिज कर दिया था। इसके बाद खंड पीठ ने संविधान के अनुच्छेद 133 (1) (सी) के तहत एक प्रमाण पत्र जारी

किया, जिसमें प्रमाणित किया गया कि यह मामला इस न्यायालय में अपील के लिए उपयुक्त है। उपरोक्त प्रमाणपत्र के आधार पर, प्रतिवादी ने इस न्यायालय के समक्ष यह अपील दायर की है। इस अपील के दौरान वादी द्वारा दिये गये आवेदन पर गुजरात राज्य विद्युत बोर्ड को प्रतिवादी के रूप में शामिल किया गया।

अब हम इसके प्रासंगिक प्रावधानों का एक संक्षिप्त सर्वेक्षण करेंगे एक्ट करें। अधिनियम की धारा 21 की उप-धारा (2) में प्रावधान है कि एक लाइसेंसधारी जो इसके भाग (II) के तहत ऊर्जा की आपूर्ति करने के लिए अधिकृत है, राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी के साथ स्थानीय प्राधिकरण से परामर्श करने के बाद दिया जा सकता है, जहाँ लाइसेंसधारी स्थानीय प्राधिकारी नहीं है, ऐसे व्यक्ति के साथ एक समझौता जो उपभोक्ता है या बनने का इरादा रखता है। ऐसी शर्तों के साथ या उसके लाइसेंस या अधिनियम के तहत बनाए गए किसी भी नियम के साथ असंगत नहीं है और परामर्श के पश्चात दी गयी मंजूरी के साथ इसमें शामिल हो सकते हैं, या ऐसी किसी शर्त में परिवर्तन या संशोधन करना है; और ऐसी मंजूरी के बिना लाइसेंसधारी द्वारा समझौते में पेश की गयी शर्त अमान्य होगी। राज्य सरकार से परामर्श के बाद अधिनियम की धारा 21 की उप-धारा (3) के तहत लाइसेंसधारी को कम से कम एक महीने का नोटिस देने के बाद कोई नयी शर्त जोड़ी जा सकती है या पहले स्वीकृत किसी शर्त के हिस्से को रद्द

या संशोधित कर सकती है। ऐसा करने में अपने उद्देश्य लिखना होगा। अधिनियम की धारा 22 में प्रावधान है कि "जहां ऊर्जा की आपूर्ति एक लाइसेंसधारी द्वारा की जाती है, आपूर्ति के क्षेत्र के भीतर प्रत्येक व्यक्ति लाइसेंस के नियमों और शर्तों द्वारा अन्यथा प्रदान किये को छोड़कर आवेदन पर आपूर्ति का हकदार होगा। उन्हीं शर्तों पर जिन पर समान क्षेत्र में कोई अन्य व्यक्ति समान परिस्थितियों में संबंधित आपूर्ति का हकदार है।

अधिनियम की धारा 23 (1) किसी लाइसेंसधारी को किसी भी व्यक्ति को अनुचित प्राथमिकता दिखाते हुए कोई भी समझौता करने से रोकती है। अधिनियम की धारा 23 की उप-धारा (3) में प्रावधान है कि इसके विपरीत किसी समझौते के अभाव में एक लाइसेंसधारी किसी भी उपभोक्ता को आपूर्ति की गयी ऊर्जा के लिए आपूर्ति की गयी ऊर्जा की वास्तविक मात्रा व विद्युत माता के आधार पर शुल्क ले सकता है। आपूर्ति में निहित, या ऐसी अन्य विधियाँ जिन्हें राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित किया जा सकता है। अधिनियम की धारा 24 लाइसेंसधारी को उसके द्वारा देय शुल्क का भुगतान करने की उपेक्षा करने वाले किसी भी उपभोक्ता को ऊर्जा की आपूर्ति बंद करने के लिए अधिकृत करती है।

इन प्रावधानों के संयुक्त अध्ययन से पता चलता है कि एक लाइसेंस धारी के लिए अधिनियम के अन्य प्रावधानों के अधीन सहमत दर पर विद्युत ऊर्जा की आपूर्ति करने के लिए किसी भी उपभोक्ता के साथ राज्य

सरकार की पिछली मंजूरी के तहत समझौता करने के लिए खुला है। वह विद्युत ऊर्जा की आपूर्ति के मामले में किसी भी व्यक्ति को अनुचित प्राथमिकता नहीं दे सकता। उपरोक्त प्रावधान अधिनियम के अन्य प्रावधानों की तहत विद्युत (आपूर्ति) अधिनियम, 1948 (1948 का अधिनियम संख्या 54) की धारा 70 के अधीन हैं, जिसमें यह प्रावधान है कि अधिनियम या उसके तहत बनाए गए किसी भी नियम या उपकरण का कोई प्रावधान नहीं है। ऐसे कानून या नियम के आधार पर जहां तक कि विद्युत(आपूर्ति) अधिनियम, 1948 के किसी भी प्रावधान से असंगत है, कोई प्रभाव पड़ेगा और उस अधिनियम के प्रावधान किये गये को छोड़कर उस अधिनियम के प्रावधान अधिनियम के अतिरिक्त होंगे, न कि उसके निरादर में। इस मामले में विचार के लिए उत्पन्न अधिनियम की धारा 22-ए(1) को विद्युत (संशोधन) अधिनियम, 1959 (1959 का अधिनियम संख्या 32) में शामिल किया गया-

“22- ए. (1) राज्य सरकार, यदि उसकी राय में ऐसा करना जनहित में आवश्यक है तो किसी भी लाइसेंसधारी को किसी अन्य उपभोक्ता पर प्राथमिकता देते हुए किसी भी प्रतिष्ठान के लिए आवश्यक ऊर्जा की आपूर्ति करने का निर्देश दे सकती है, जो राज्य सरकार की राय में समुदाय के लिए आवश्यक आपूर्ति व सेवाओं को बनाये रखने के लिए



उपयोग किये जाने वाला प्रतिष्ठान है या उपयोग करने का इरादा रखने वाला प्रतिष्ठान है।

(2) जहाँ उप-धारा (1) के तहत कोई निर्देश जारी किया जाता है। जिसमें लाइसेंसधारी को किसी प्रतिष्ठान को ऊर्जा की आपूर्ति करने की आवश्यकता होती है और ऊर्जा की आपूर्ति से संबंधित कीमत या अन्य नियमों और शर्तों के संबंध में कोई अंतर या विवाद उत्पन्न होता है, तो लाइसेंसधारी ऐसा नहीं करेगा। केवल ऐसे मतभेद या विवाद के कारण ऊर्जा की आपूर्ति करने से इनकार करने का अधिकार होगा, लेकिन ऐसे मतभेद या विवाद का निर्धारण मध्यस्थता द्वारा किया जाएगा।

(3) जहाँ किसी लाइसेंसधारी द्वारा उप-धारा (1) में निर्दिष्ट किसी प्रतिष्ठान के साथ ऊर्जा की आपूर्ति के लिए कोई समझौता, चाहे वह भारतीय विद्युत(संशोधन) अधिनियम, 1959, के प्रारंभ होने से पहले या बाद में किया गया हो, समाप्त हो जाता है, तो लाइसेंसधारी ऐसे प्रतिष्ठान को उन्हीं नियमों और शर्तों पर ऊर्जा की आपूर्ति करना जारी रखे, जो समझौते में निर्दिष्ट हैं। जबतक कि उसे प्रतिष्ठान से आपूर्ति बंद करने के लिए लिखित रूप में नोटिस प्राप्त ना हो जाये।

(4) इस अधिनियम में या इसमें किसी बात के हाते हुए भी विद्युत (आपूर्ति) अधिनियम, 1948 में या उसके अनुज्ञप्ति में या ऊर्जा की आपूर्ति के लिए उसके द्वारा किये गये किसी समझौते में, एक लाइसेंसधारी उप-धारा(1) के तहत दिए गए किसी भी निर्देश का पालन करने और ऐसे किसी भी निर्देश के अनुसरण में उसके द्वारा की गयी, किसी भी कार्यवाही के लिए बाध्य होगा, इसे धारा 23 का उल्लंघन नहीं माना जायेगा।"

भले ही लाइसेंसधारी को विद्युत ऊर्जा की आपूर्ति के मामले में किसी भी व्यक्ति को अनुचित वरीयता दिखाने का कोई अधिकार नहीं है और यह सरकार की पूर्व मंजूरी के साथ लाइसेंस धारी के लिए खुला है कि वह किसी उपभोक्ता के साथ शर्तों सहित एक समझौता कर सके। अधिनियम के अन्य प्रावधानों के अधीन एक निर्दिष्ट अवधि के लिए उपभोक्ता द्वारा देय शुल्कों के संबंध में अधिनियम की धारा 22 ए राज्य सरकार को संदर्भित प्रतिष्ठान को ऊर्जा की आपूर्ति के संबंध में लाइसेंसधारी को निर्देश देने के लिए अधिकृत करती है। उप-धारा (1) में किसी अन्य उपभोक्ता को प्राथमिकता दी जायेगी और यह भी प्रावधान किया गया है कि उप-धारा (1) में निर्दिष्ट किसी भी प्रतिष्ठान के मामले में यदि लाइसेंसधारी द्वारा कोई समझौता किया गया है, चाहे वह विद्युत (संशोधन) अधिनियम, 1959 के

प्रारंभ होने से पहले या बाद में, लाइसेंसधारी ऐसे प्रतिष्ठान को उन्हीं नियमों और शर्तों पर ऊर्जा की आपूर्ति जारी रखेगा, जो समझौते की समाप्ति के बाद भी समझौते में निर्दिष्ट हैं, जब तक कि उसे प्रतिष्ठान से आपूर्ति बंद करने के लिए लिखित सूचना नहीं मिल जाती। पक्षकारों द्वारा किये गये तर्कों को समझने के लिए अधिनियम की धारा 22-ए के प्रावधानों पर कुछ विस्तार से विचार करना आवश्यक है। अधिनियम की धारा 22-ए की उप-धारा (1) राज्य सरकार को किसी अन्य उपभोक्ता को प्राथमिकता देते हुए किसी प्रतिष्ठान को ऊर्जा की आपूर्ति करने के लिए लाइसेंसधारी को निर्देश जारी करने के लिए अधिकृत करता है। (i) यदि उसकी राय में जनहित में ऐसा निर्देश देना आवश्यक है और (ii) यदि प्रश्नगत प्रतिष्ठान राज्य सरकार की राय में एक ऐसा प्रतिष्ठान है, जिसका उपयोग समुदाय और समाज के लिए आवश्यक आपूर्ति और सेवाओं को बनाए रखने के लिए किया जाता है या जिसका उपयोग करने का इरादा है। राज्य सरकार का यह निर्णय कि उसकी राय में प्रतिष्ठान का उपयोग समुदाय के लिए आवश्यक आपूर्ति और सेवाओं को बनाए रखने के लिए किया जाता है या इसका उपयोग करने का इरादा है, उसे सरकार द्वारा आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचित किया जाता है। अधिनियम की धारा 22-ए की उप-धारा (1) में राज्य सरकार द्वारा दो राय बनाने की बात कही गई है-एक प्रश्न के संबंध में कि क्या किसी अन्य उपभोक्ता की वरीयता में किसी प्रतिष्ठान को बिजली देने का निर्देश जारी

करना जनहित में आवश्यक है और दूसरा प्रतिष्ठान के चरित्र के बारे में, प्रश्न यह है कि क्या प्रतिष्ठान का उपयोग समुदाय के लिए आवश्यक आपूर्ति और सेवाओं को बनाए रखने के लिए किया जाता है या किये जाने का इरादा है। दूसरे शब्दों में, इस प्रश्न का निर्णय कि क्या किसी प्रतिष्ठान का उपयोग आपूर्ति और सेवाओं को बनाए रखने के लिए किया जाता है या इसका उपयोग करने का इरादा है। राज्य सरकार को धारा 22-ए (1) के तहत निर्देश जारी करने से पहले या उसी समय लेना होगा।

इस अपील में हम जिस महत्वपूर्ण प्रावधान से चिंतित हैं, वह अधिनियम की धारा 22-ए की उप-धारा (3) है जिसमें यह प्रावधान है कि लाइसेंसधारी द्वारा कोई भी समझौता चाहे वह बिजली (संशोधन) अधिनियम, 1959 के शुरू होने से पहले या बाद में किया गया हो। यदि उप-धारा (1) में निर्दिष्ट किसी भी प्रतिष्ठान के साथ ऊर्जा की आपूर्ति समाप्त हो जाती है तो लाइसेंसधारी ऐसे प्रतिष्ठान को उन्हीं नियमों और शर्तों पर ऊर्जा की आपूर्ति करना जारी रखेगा, जो समझौते में निर्दिष्ट हैं, जब तक कि उसे प्रतिष्ठान द्वारा उसे आपूर्ति बंद करने की लिखित सूचना नहीं मिल जाती। वादी की ओर से दलील दी गयी थी, जिसे विचारण न्यायालय और प्रथम अपीलीय न्यायालय ने खारिज कर दिया था, लेकिन दूसरी अपील में उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा स्वीकार कर लिया गया था और पत्र पेटेंट अपील में उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा स्वीकार कर

लिया गया था। 14 अगस्त, 1940 को प्रतिवादी के साथ किया गया समझौता धारा 22-ए की उप-धारा (3) के आधार पर लागू रहेगा, अधिनियम की समाप्ति के बाद भी, क्योंकि वादी एक ऐसा प्रतिष्ठान था जिसका उपयोग समुदाय के लिए आवश्यक आपूर्ति और सेवाओं को बनाए रखने के लिए किया गया था या जिसका उपयोग करने का इरादा था और आधिकारिक राजपत्र में एक अधिसूचना के प्रकाशन की कोई आवश्यकता नहीं थी, जिसमें कहा गया था कि राज्य सरकार की राय थी कि यह एक ऐसा प्रतिष्ठान था जिसका उपयोग समुदाय के लिए आवश्यक आपूर्ति और सेवाओं को बनाए रखने के लिए किया गया था या जिसका उपयोग करने का इरादा था। उपरोक्त प्रस्ताव के संबंध में वादी की ओर से आग्रह किया गया कि अधिनियम की धारा 22-ए की उप-धारा (3) में "उप-धारा (1) में निर्दिष्ट कोई भी प्रतिष्ठान" शब्दों का अर्थ है "समुदाय के लिए आवश्यक आपूर्ति और सेवाओं को बनाए रखने के लिए उपयोग किया जाने वाला या उपयोग करने का इरादा रखने वाला प्रतिष्ठान" और कोई भी प्रतिष्ठान नहीं जिसे राज्य सरकार द्वारा आधिकारिक राजपत्र में एक प्रतिष्ठान के रूप में अधिसूचित किया गया था, जिसका उपयोग राज्य सरकार की राय में समुदाय के लिए आवश्यक आपूर्ति और सेवाओं को बनाए रखने के लिए किया जा रहा था या उपयोग करने का इरादा था। वादी की ओर से इस अपील में हमारे समक्ष यही तर्क प्रस्तुत किया गया है। प्रतिवादी की ओर

से तर्क दिया गया कि अधिनियम की धारा 22-ए की उप-धारा (3) केवल ऐसे प्रतिष्ठान के मामले में लागू होती है जो राज्य सरकार की राय में एक ऐसा प्रतिष्ठान है जिसका उपयोग समुदाय को आवश्यक आपूर्ति और सेवाओं को बनाये रखने के लिए किया जाता है या जिसका उपयोग करने का इरादा होता है, जिसके संबंध में लाइसेंसधारी को निर्देश जारी किया जाता है और उप-धारा (1) के तहत राज्य सरकार द्वारा उस संबंध में आधिकारिक राजपत्र में एक अधिसूचना जारी की जाती है। पत्र पेटेंट अपील में दिया गया निर्णय, जो एक पुष्टि करने वाला निर्णय है, उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश के फैसले का सारांश प्रतीत होता है। विद्वान एकल न्यायाधीश ने अपने निर्णय में जिसकी ओर हमारा ध्यान अधिनियम की धारा 22-ए की उप-धारा (1) से निपटते समय पक्षकारों के विद्वान वकीलों ने आकर्षित किया था, कहा:

"धारा 22-ए की उप-धारा (1) में निर्दिष्ट प्रतिष्ठान कौनसा है? और यदि यह प्रश्न पूछा जाता है तो यह स्पष्ट है कि धारा 22-ए की उप-धारा (1) में निर्दिष्ट प्रतिष्ठान का उपयोग समुदाय के लिए आवश्यक आपूर्ति और सेवाओं को बनाए रखने के लिए किया जाने वाला था या उपयोग किये जाने का इरादा है। बेशक, इस सवाल के निर्धारण कि किसी कोई विशेष प्रतिष्ठान का उपयोग समुदाय के लिए आवश्यक

आपूर्ति और सेवाओं को बनाए रखने के लिए उपयोग किये जाने वाला या उपयोग किये जाने का इरादा है, जैसा कि मैंने ऊपर बताया है, राज्य सरकार की व्यक्तिपरक संतुष्टि पर छोड़ दिया गया है; लेकिन अधिनियम की धारा 22-ए की उप-धारा (1) में निर्दिष्ट है। निस्संदेह एक प्रतिष्ठान है जिसका उपयोग समुदाय के लिए आवश्यक आपूर्ति और सेवाओं को बनाए रखने के लिए किया जाता है या उपयोग करने का इरादा है और यह केवल तभी होता है जब कोई एक ऐसा प्रतिष्ठान राज्य सरकार की राय, ऐसा प्रतिष्ठान होता है, जिसे राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाता है। धारा 22-ए की उप-धारा (1) के तहत जिस प्रतिष्ठान के पक्ष में निर्देश दिया जा सकता है कि एक प्रतिष्ठान होना चाहिए जिसका उपयोग समुदाय के लिए आवश्यक आपूर्ति और सेवाओं को बनाए रखने के लिए किया जाना चाहिए या उपयोग करने का इरादा होना चाहिए। लेकिन किसी के पास यह निर्धारित करने की शक्ति होनी चाहिए कि कोई विशेष प्रतिष्ठान ऐसा प्रतिष्ठान है या नहीं। वह शक्ति विधायिका द्वारा राज्य सरकार को सौंपी जाती है और इसकी व्यक्तिपरक संतुष्टि में राज्य सरकार का निर्णय अंतिम और निर्णायक

बना दिया जाता है; लेकिन यह स्पष्ट है कि राज्य सरकार को अपनी व्यक्तिपरक संतुष्टि में जो तय करना है, वह तथ्य यह है कि समुदाय के लिए आवश्यक आपूर्ति और सेवाओं को बनाए रखने के लिए प्रतिष्ठान का उपयोग किया जा रहा है या उपयोग करने का इरादा है और ऐसा इसलिए है क्योंकि एक विशेष प्रतिष्ठान ऐसा प्रतिष्ठान है, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है, कि राज्य सरकार विद्युत ऊर्जा की आपूर्ति के मामले में अधिमान्य उपचार देने के उद्देश्य से अधिसूचित कर सकती है, इसलिए यह स्पष्ट है कि जिस प्रतिष्ठान का उल्लेख किया गया है, वह धारा 22-ए की उप-धारा (1) में एक ऐसा प्रतिष्ठान है जिसका उपयोग समुदाय के लिए आवश्यक आपूर्ति और सेवाएँ बनाये रखने के लिए किया जाता है या उपयोग करने का इरादा है और यह धारा 22-ए की धारा (1) के तहत अधिसूचित प्रतिष्ठान के समान नहीं है।"

ऐसा कहने के बाद, विद्वान न्यायाधीश ने कहा कि अधिनियम की धारा 22-ए की उपधारा (3) में "उपधारा (1) में निर्दिष्ट कोई भी प्रतिष्ठान" शब्द किसी भी इस्तेमाल किये गये या इच्छित प्रतिष्ठान को संदर्भित करता है, जिसका समुदाय के लिए आवश्यक आपूर्ति और सेवाओं



को बनाये रखने के लिए उपयोग किया जाना था और यह एक प्रतिष्ठान तक सीमित नहीं था, जो राज्य सरकार की राय में समुदाय के लिए आवश्यक आपूर्ति और सेवाओं को बनाए रखने के लिए उपयोग किया जाने वाला या उपयोग करने का इरादा रखता है, जिसे राज्य सरकार द्वारा आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचित किया गया था, जैसा कि अधिनियम की धारा 22-ए की उप-धारा (1) द्वारा आवश्यक है। उपरोक्त निष्कर्ष के समर्थन में विद्वान न्यायाधीश द्वारा दिए गए कारणों में से एक इस प्रकार था:

“ धारा 22-ए की उप-धारा (3) के प्रावधान केवल तभी लागू होंगे, जहां एक लाइसेंसधारी द्वारा विद्युत ऊर्जा की आपूर्ति के लिए एक समझौता चाहे भारतीय विद्युत (संशोधन) अधिनियम, 1959 के शुरू होने से पहले या बाद में किया गया हो। धारा 22-ए की उप-धारा (1) में निर्दिष्ट किसी भी प्रतिष्ठान के साथ विद्युत ऊर्जा (संशोधन) अधिनियम के लागू होने के बाद समाप्त हो जाती है, जिस समझौते की समाप्ति पर उपधारा 3 के प्रावधान लागू होते हैं। धारा 22-ए आकर्षित होती हैं, इसलिए विद्युत ऊर्जा की आपूर्ति के लिए धारा 22-ए की उपधारा 1 में निर्दिष्ट प्रतिष्ठान के साथ एक लाइसेंसधारी द्वारा किया गया एक समझौता होना चाहिए, चाहे वह भारतीय विद्युत (संशोधन)

अधिनियम, 1959 के लागू होने से पहले या बाद में। इसलिए जिस प्रतिष्ठान के साथ लाइसेंसधारी द्वारा समझौता किया गया है, वह स्पष्ट रूप से उस तारीख को धारा 22-ए की उपधारा 1 में निर्दिष्ट एक प्रतिष्ठान होना चाहिए, जब समझौता पक्षकारों के बीच किया गया था। समझौते की तिथि पर प्रतिष्ठान को "उपधारा 1 में निर्दिष्ट किसी भी प्रतिष्ठान" शब्दों में दिये गये विवरण को पूरा करना होगा, तभी यह कहा जा सकता है कि समझौता धारा 22-ए की उपधारा 1 में निर्दिष्ट प्रतिष्ठान के साथ लाइसेंसधारी द्वारा किया गया था।"

विद्वान एकल न्यायाधीश के निर्णय के उपरोक्त उद्धरण में दिए गए प्रस्ताव से सहमत होना मुश्किल है क्योंकि यदि अधिनियम की धारा 22-ए की उप-धारा (3) में निर्दिष्ट समझौता एक ऐसे प्रतिष्ठान के साथ एक लाइसेंसधारी द्वारा किया गया समझौता है जो समझौते के समय अधिनियम की धारा 22-ए की उप-धारा (1) में निर्दिष्ट एक प्रतिष्ठान है, तो उप-धारा (3) के प्रावधान लागू करता है। विद्युत (संशोधन) अधिनियम, 1959,के प्रारंभ होने से पहले किये गये समझौते, जिसके द्वारा धारा 22-ए को लागू की गयी थी, अर्थहीन हो गयी है, क्योंकि राज्य सरकार की दो राय का गठन कि किसी प्रतिष्ठान का उपयोग समुदाय के लिए आवश्यक आपूर्ति

और सेवाओं को बनाए रखने के लिए किया जा रहा है या किया जाना है और इस संबंध में निर्देश जारी करना आवश्यक है कि उप-धारा (1) के तहत केवल धारा 22-ए को अधिनियम में लागू किये जाने के बाद ही किया जा सकता है और धारा 22-ए से पहले धारा 22-ए (1) की आवश्यकताओं को पूरा करने वाला कोई प्रतिष्ठान नहीं होगा।

विद्वान एकल न्यायाधीश ने अगले आधार पर यह अभिनिर्धारित किया कि धारा 22-ए की उप-धारा (3) में निर्दिष्ट प्रतिष्ठान को उपधारा में निर्दिष्ट प्रतिष्ठान की सभी आवश्यकताओं को पूरा करने की आवश्यकता नहीं है। धारा 22-ए की उप-धारा (1) में, जो फिर से असमर्थनीय है, वह यह थी कि उप-धारा (1) को अधिनियमित करने का उद्देश्य उप-धारा (3) को अधिनियमित करने के उद्देश्य से अलग था और इसलिए, उपधारा (1) संदर्भित प्रतिष्ठान उपधारा (3) के प्रतिष्ठान के समान हो, इस पर विचार करने की आवश्यकता नहीं है। यह हो सकता है कि अधिनियम की धारा 22-ए की उप-धारा (1) को संसद द्वारा राज्य सरकार को निर्देश जारी करने में सक्षम बनाने के उद्देश्य से जारी किया गया था, और उपधारा (3) को लाइसेंसधारी द्वारा निर्दिष्ट प्रतिष्ठान के साथ किये गये समझौते को जारी रखने के लिए प्रदान करने के उद्देश्य से अधिनियमित किया गया था, लेकिन दोनों उप-धाराओं में जो बात समान है, वह यह है कि उप-धारा (1) में निर्दिष्ट प्रतिष्ठान और उप-धारा (3) में निर्दिष्ट प्रतिष्ठान समान प्रकार का

होना चाहिए अर्थात यह एक ऐसा प्रतिष्ठान होना चाहिए जो राज्य सरकार की राय में समुदाय और समुदाय के लिए आवश्यक आपूर्ति और सेवाओं को बनाए रखने के लिए उपयोग किया जाता है या उपयोग करने का इरादा रखता है। इस तरह की राय के गठन के तथ्य को आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचित किया जाता है। इसे अधिनियम की धारा 22-ए (1) में निर्धारित परीक्षणों को पूरा करना चाहिए।

विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा दिया गया तीसरा कारण यह है कि अधिनियम की धारा 22-ए की उप-धारा (3) में निर्दिष्ट प्रतिष्ठान राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित ऐसा प्रतिष्ठान नहीं हो सकता, जिसका उपयोग समुदाय के लिए आवश्यक आपूर्ति और सेवाओं को बनाए रखने के लिए किया जा रहा था या जिसका उपयोग करने का इरादा था। धारा 22-ए की उप-धारा (1) के तहत राज्य सरकार द्वारा एक अधिसूचना जारी की गयी थी, यह अनुचित होगा सिवाय इसके कि जब सरकार की राय हो कि निर्देश जारी किया जाना चाहिए। दूसरे शब्दों में, विद्वान एकल न्यायाधीश का विचार था कि जब राज्य सरकार महसूस करती है कि कोई निर्देश जारी करने की कोई आवश्यकता नहीं है, तो वह उस प्रावधान के तहत कोई अधिसूचना जारी नहीं कर सकती है, जिसमें कहा गया है कि एक प्रतिष्ठान उसकी राय में एक ऐसा प्रतिष्ठान था जिसका उपयोग या उपयोग समुदाय के लिए आवश्यक आपूर्ति और सेवाओं को बनाए रखने के लिए किया जा

रहा था। हम नहीं मानते कि विद्वान एकल न्यायाधीश का उपरोक्त अवलोकन सही है क्योंकि राज्य सरकार को धारा 22-ए की उप-धारा (1) के तहत अधिसूचना जारी करने में कोई बाधा नहीं है ताकि उसमें अधिसूचित प्रतिष्ठान को अधिनियम की धारा 22-ए की उप-धारा (3) का लाभ मिल सके।

खंडपीठ ने पत्र पेटेंट अपील में अपने फैसले में कमोबेश वही तर्क अपनाया जो वादी के विवाद को बरकरार रखने में विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा अपनाया गया था।

अधिनियम की धारा 22-ए की उप-धारा (3) में उल्लिखित शब्द "उप-धारा (1) में संदर्भित", इसका वर्णन और परिभाषित करती है जिसे धारा 22-ए की उपधारा (3) लागू होती है और ऐसे प्रतिष्ठान की पहचान करने के लिए हमें उप-धारा (1) के बाद के भाग का सहारा लेना होगा, जो उन मानदंडों को निर्धारित करता है, जिन्हें इस तरह के प्रतिष्ठान को पूरा करना चाहिए। एक वैधानिक परिभाषा या संक्षिप्त रूप को कानून में व्यक्त सभी योग्यताओं के अधीन पढ़ा जाना चाहिए और जब तक कि जिस संदर्भ में परिभाषित शब्द अन्यथा आवश्यक न हो, इसे परिभाषित करने वाले शब्दों द्वारा दिये गये अर्थ को ही दिया जाना चाहिए।

अधिनियम की धारा 22-ए के निष्पक्ष अध्ययन से पता चलता है कि संसद का उद्देश्य राज्य सरकार को धारा 22-ए की उप-धारा (1) के तहत निर्देश जारी करने या किसी लाइसेंसधारी द्वारा किए गए समझौते की निरंतरता का प्रावधान करने के लिए सशक्त बनाना नहीं था, जिसमें प्रत्येक मामले में एक प्रतिष्ठान, जिसका उपयोग समुदाय को आवश्यक आपूर्ति और सेवाओं को बनाए रखने के लिए किया जा रहा था या जिसका उपयोग करने का इरादा था। संसद का उद्देश्य यह प्रतीत होता है कि राज्य सरकार केवल ऐसे प्रतिष्ठान के मामले में निर्देश जारी कर सकती है जो उसकी राय में उल्लिखित योग्यताओं को पूरा करता है और उप-धारा (3) केवल उस प्रतिष्ठान पर लागू होनी चाहिए जो राज्य सरकार की राय में उक्त योग्यताओं को पूरा करती है। इस प्रश्न का निर्धारण कि क्या कोई प्रतिष्ठान अधिनियम की धारा 22-ए (1) में उल्लिखित शर्तों को पूरा करता है, राज्य सरकार पर छोड़ दिया गया है। कानून यह भी निर्धारित करता है कि इस तरह के निर्धारण की जानकारी आधिकारिक राजपत्र में एक औपचारिक प्रकाशन द्वारा सभी संबंधित को सूचित किया जाना चाहिए। अधिनियम की धारा 22-ए में अलग से प्रावधान करने के बजाय कि उस धारा की किसी भी उप-धारा में निर्दिष्ट प्रतिष्ठान एक ऐसा प्रतिष्ठान था, जिसका उपयोग राज्य सरकार की राय में समुदाय के लिए आवश्यक आपूर्ति और सेवाओं के मुख्य निर्माण के लिए किया गया था या जिसका उपयोग करने का

इरादा था, संसद ने उस प्रतिष्ठान को परिभाषित किया जिस पर धारा 22-ए लागू थी, उप-धारा (1) और उप-धारा (3) में उसी परिभाषा को दोहराने के बजाय यह प्रावधान किया कि एक प्रतिष्ठान जिस पर उप-धारा (3) लागू थी, वह उप-धारा (1) में निर्दिष्ट एक प्रतिष्ठान था।

हमारा विचार है कि अधिनियम की धारा 22-ए (1) के तहत अधिसूचना जारी करने की शक्ति में चयन का एक तत्व शामिल है और चयन की उक्त प्रक्रिया को एक खाली औपचारिकता के रूप में नहीं माना जा सकता है, जिसे समाप्त किया जा सकता है। न ही चयन की वह शक्ति जो संसद द्वारा राज्य सरकार को सौंपे गयी है, उस पर न्यायालय द्वारा दावा नहीं किया सकता। राज्य सरकार को उस प्रतिष्ठान को सूचित करना है, जो धारा 22- ए (1) के तहत जारी किए जाने वाले निर्देश का लाभार्थी होना चाहिए या जो अधिनियम की धारा 22-ए (3) के तहत अनुबंध की समाप्ति के बाद भी लाइसेंसधारी के साथ किये गये समझौते में निर्दिष्ट समान नियमों और शर्तों पर विद्युत ऊर्जा की आपूर्ति हकदार है, जब तक कि ऐसा प्रतिष्ठान लाइसेंसधारी को आपूर्ति बंद करने के लिए लिखित में नोटिस नहीं दे देता है।

उस संदर्भ को ध्यान में रखते हुए जिसमें अधिनियम की धारा 22-ए प्रकट होती है और विशेष रूप से धारा 22-ए की उप-धारा (1) व उपधारा (3) में उपयोग की जाने वाली भाषा को ध्यान में रखते हुए हमारा विचार

है कि यह मानना संभव नहीं है कि धारा 22-ए (3) समुदाय के लिए आवश्यक आपूर्ति और सेवाओं को बनाये रखने के लिए उपयोग किए जाने वाले व उपयोग किये जाने का इरादा रखने वाले प्रतिष्ठान पर लागू होती है। भले ही राज्य सरकार ने घोषणा नहीं की हो। आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना में कहा गया है कि उसकी राय है कि प्रतिष्ठान उप धारा (1) में निर्दिष्ट योग्यता को पूरा करता है। हमें धारा 22 -ए की उप-धारा (3) को ध्यान में रखना होगा। यह अधिनियम एक विशिष्ट अवधि के दौरान अनुबंध अस्तित्व में रहना चाहिए, को निर्धारित करते हुए लाइसेंसधारी के अधिकारों में गंभीर हस्तक्षेप करता है और लाइसेंसधारी को उसी नियम व शर्तों पर निर्दिष्ट प्रतिष्ठान को ऊर्जा की आपूर्ति करने के लिए बाध्य करता है, जैसा कि उसमें निर्दिष्ट है। समझौता पहले ही किया जा चुका है, यहां तक कि उसकी समाप्ति की अवधि के बाद भी जबतक प्रतिष्ठान द्वारा लाइसेंसधारी को आपूर्ति बंद करने के लिए लिखित नोटिस जारी नहीं किया जाता है। यदि धारा 22-ए की उपधारा (3) में आने वाले शब्दों "उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी भी प्रतिष्ठान" पर प्रत्येक प्रतिष्ठान का संदर्भ देते हुए एक उदार दृष्टिकोण रखा गया है, जो हर उस प्रतिष्ठान को संदर्भित करता है जिसका उपयोग आवश्यक आपूर्ति व सेवाओं को बनाये रखने के लिए किया जा रहा है या उपयोग करने का इरादा है। राज्य सरकार द्वारा एक अधिसूचना जारी किये जाने के बावजूद समुदाय के लिए



आवश्यक आपूर्ति और सेवाओं में उसकी राय ऐसा प्रतिष्ठान है, यह लाइसेंसधारी के अधिकारों पर प्रतिबंध लगाने के लिए बाध्य करता है। यदि यह अभिनिर्धारित किया जाता है कि धारा 22- ए की उप-धारा (3) में निर्दिष्ट प्रतिष्ठान राज्य सरकार अधिसूचित है जैसा कि द्वारा उप-धारा (1) के लिए आवश्यक है। यदि राज्य सरकार किसी प्रतिष्ठान के मामले में अधिसूचना जारी नहीं करती है तो ऐसा प्रतिष्ठान धारा 22-ए (3) के लाभ का दावा करने के लिए पात्र नहीं होगा। हम यहाँ यह भी ध्यान दें कि कोई भी प्रतिष्ठान जिसके हितों धारा 22-ए (3) के लाभ के विस्तार द्वारा संरक्षित करने की आवश्यकता है, राज्य सरकार हमेशा उप-धारा (1) के तहत अधिसूचना जारी कर सकती है। जिसमें कहा गया है कि उसकी राय में उक्त प्रतिष्ठान उसमें उल्लेखित योग्यता को पूरा करता है।

इन परिस्थितियों में हम यह कहने के लिए विवश हैं कि उच्च न्यायालय ने उन आवश्यकताओं की अनदेखी करने में गलती थी। जिन्हें उप-धारा (3) के लाभ का दावा करने से पहले एक प्रतिष्ठान को पूरा करना था और यदि न्यायालय की राय में यह था कि प्रतिष्ठान का यह समाधान हो जाता है कि इसका उपयोग समुदाय के लिए आवश्यक आपूर्ति और सेवाओं को बनाए रखने के लिए किया जा रहा था या इसका उपयोग करने का इरादा था, तो वह उप-धारा (3) के लाभ का दावा कर सकता है, भले

ही राज्य सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 22-ए की उप-धारा (1) के तहत कोई अधिसूचना जारी नहीं की गई थी।

परिणामस्वरूप, हम अपील की अनुमति देते हैं, दूसरी अपील में और पत्र पेटेंट अपील में उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री को रद्द करते हैं और मुकदमे को खारिज करने वाली प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा पुष्ट की गयी विचारण न्यायालय की डिक्री को बहाल करते हैं। मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, हम पक्षकारों को निर्देश देते हैं कि वे अपनी लागत स्वयं वहन करें।

अपील की अनुमति दी गई।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी राकेश कुमार (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

**अस्वीकरण:** यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।